

9-8-19 पंचायती पंचायत वकील पत्रकार उपर की
वास्तविक 21-8-19 की पंचायत की

11-8-19 पंचायती पंचायत वकील / अधिवक्ता द्वारा
पत्रकार को पत्र / P.O. को
पत्र / वकील / पत्रकार से पत्रकार
द्वारा वकील दिनांक 30/8/19
को पत्र है।
संभव

8-19 पंचायती पंचायत वकील पत्रकार उपर है / विवादात्त
उत्पाद पत्र / वकील पत्रकार की / विवादात्त उत्पाद
पर वकील विवादात्त उत्पाद सुनी गई / P.O.
राजगोपालाचारी द्वारा प्रेषित विवादात्त उत्पाद
वकील पत्रकार किये जाकर ग्राम अप्रैल/वि.डी. के

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुकम में
---------------	-----------------------------------	-----------------------------

श्री श्रीम स्व० नं० 10, 11, 248, 266, 267, 267/303

का पसकारों के मध्य निम्न प्रकार होलिडा

विभाजन किया जाता है।

क्र.सं नाम पसकार मय विव(0) ख.नं (अण)

(1) देवलाल पुत्र कन्हीराम जाति
धाऊड सा.देह

10	0.16
11	30
	0.18
	द.
248	0.08
	30
267	0.30
	30
280	0.04
	30
	30

किला 5 0.76 ह०

(2) राधेश्याम पुत्र कन्हीराम जाति
जाति धाऊड सा०

11	0.33
	30
267	0.33
	प०
267	0.10
303	-

किला 3 0.76 ह०

(3) भागीबाई पुत्री कन्हीराम
जाति धाऊड निवासी
अम(पुर)

10	0.16
	म०
11	0.18
	म०
248	0.09
	म०
267	0.29
	म०
280	0.04
	म०
	0.04

किला 5 0.76 ह०

ख० नं० 266 सामंती रहेगा। राज्य रिफार्ड में
अमल हो नकरा में लामिम हो। रावा रायरी उपलब्ध
श्रीम का विधि केंचान कुमा हो लो हुममुदा श्रीम
कला के नाम दर्ज हो सकेगी। F.D. जारी हो।
निर्णय आज दि० 30.8.19 को मेरे डार।
लि(वाय) जाफ(विहल) न्यायालय में (लगाम)

20/8/19
(चिमनलाल अधिकारी)
(चिमनलाल अधिकारी)